न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, सवाई माधोपुर

अपील संख्या - 41/24 GCMS NO 2024/68

1. रामकिशन पुत्र गिरधारी
2. दिलीप पुत्र गिरधारी जातियान बैरवा निवासी बगावदा तहसील व जिला सवाई माधोपुर

अपीलांट

बनाम

1. अर्जुन लाल पुत्र गोपाल
2. मोहरबाई पत्नि छीतर
3. यशकुमार पुत्र छीतर
4. जोनू उर्फ टोनू पुत्र छीतर
5. मोनिका पुत्री छीतर
6. छोटूलाल पुत्र गोपाल जातियान बैरवा निवासीयान बगावदा तहसील व जिला सवाई माधोपुर
7. तुलसा पुत्री गोपाल पत्नि रामलाल निवासी भारजा का टापरा, कुशतला रेल्वे स्टेशन तहसील व जिला सवाई माधोपुर
8. चन्द्रकलां पुत्री चतरा पत्नि कैलाश निवासी महुवा सोप के पास जिला टोंक
9. अमरी बेवा चतरा निवासी बगावदा तहसील व जिला सवाई माधोपुर
10. श्योनारायण पुत्र चतरा
11. मोहनलाल पुत्र चतरा
12. शांति पुत्री चतरा पत्नि रामविलास निवासी श्योपुरा तहसील सवाई माधोपुर
13. संतरा बेवा बाबूलाल
14. बुद्विप्रकाश पुत्र बाबूलाल
15. गोरीशंकर पुत्र बाबूलाल
16. कन्हैया पुत्र बाबूलाल
17. अजय पुत्र बाबूलाल
18. प्रशना बाई पुत्री बाबूलाल पत्नि नानकराम निवासी हरिपुरा तहसील सवाई माधोपुर
19. ममता पुत्री बाबूलाल पत्नि पप्पू निवासी पीपलवाडा तहसील सवाई माधोपुर
20. काली पुत्री बाबूलाल पत्नि महेन्द्र निवासी बलरिया तहसील चौथ का बरवाडा
21. लैण्ड होल्डर जरिये तहसीलदार सवाई माधोपुर

रेस्पो0

(अपील विरूद्व निर्णय मु0नं0 5/86 दिनांक 01.03.86 न्यायालय सहायक कलक्टर, सवाई माधोपुर)

अभिभाषक अपीला0 श्री राधेश्यामं बैष्णव

अभिभाषक रैस्पो0 श्री इंसाफ अली

दिनांक 9.12.2024

Signature Not Verified

Digitally signed by Laxmi Kant Balot

Date: 2025.03.27 16:02:04 IST

Reason: SelfAttested

निर्णय

प्रस्तुत अपील अपीला0 की ओर [illegible] अंतर्गत धारा [illegible] विरुद्ध बंटवारा दिनांक 01.03.86 न्यायालय सहायक कलक्टर, सवाई माधोपुर पेश की है [illegible]

राजस्व अपील प्राधिकारी
सवाई माधोपुर

Scanned with CamScanner

अपील के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार से हैं कि अधिनस्थ न्यायालय में गोपाल व चतरा पुत्र काना व गिरधारी पुत्र काना जाति बैरवा निवासी बगावदा द्वारा एक वाद पत्र अन्तर्गत धारा 53 आर टी एक्ट इस आशय का पेश किया कि ग्राम बगावदा की सहखातेदारी की आराजी खाता संख्या 17 की आराजीयात का सहमति के आधार पर बंटवारा किया जाकर पृथक पृथक खाता कायम किया जावे। अधिनस्थ न्यायालय द्वारा आराजी साबिक ख0न0 96,95,144,383,332,116,112 व 114 का विभाजन किया जाकर गिरधारी पुत्र काना को ख0न0 96/1 रकबा 4 बीघा 3 विस्वा, ख0न0 95/1 रकबा 5 विस्वा, ख0न0 144 रकबा 3 बीघा 2 विस्वा, व ख0न0 383 रकबा 5 विस्वा कुल रकबा 7 बीघा 11 विस्वा दिया गया तथा गोपाल पुत्र काना को ख0न0 95/2 रकबा 6 बिस्वा, ख0न0 96/2 रकबा 4 बीघा 3 विस्वा, ख0न0 332 रकबा 1 बीघा 3 विस्वा व ख0न0 116 रकबा 1 बीघा कुल रकबा 6 बीघा 12 विस्वा दिया गया एवं चतरा पुत्र जगन्नाथ को ख0न0 95/3 रकबा 1 बीघा, ख0न0 92/2 रकबा 4 बीघा 2 विस्वा, ख0न0 112 रकबा 18 विस्वा तथा ख0न0 114 रकबा 1 बीघा 18 विस्वा कुल रकबा 7 बीघा 3 विस्वा दिया गया। उक्त विभाजन से व्यथित होकर अपीलांट द्वारा यह अपील इस न्यायालय मे पेश की गई है।

अपील पेश होने पर दर्ज रजिस्टर की जाकर अधिनस्थ न्यायालय का रिकार्ड तलब किया गया। रेस्पो0 को नोटिस जारी कर तलब किया गया। बहस उभयपक्ष अभिभाषको की अपील पर सुनी गई।

अपीलांट ने अपनी बहस अपील मे अंकित तथ्यो को दोहराते हुए कथन किया कि चतरा काना का पुत्र नही होने के बाबजूद भी अधिनस्थ न्यायालय द्वारा चतरा को काना की आराजीयात मे से हिस्सा गलत रूप से दिया गया है। जो विधि विरूद्व है। अधिनस्थ न्यायालय द्वारा कानूनी प्रावधानो के विपरीत जाकर अपीलाधीन निर्णय पारित किया है। वादग्रस्त आराजीयात गिरधारी की स्वअर्जित आलोटशुदा भूमि है जिसका विभाजन पैतृक भूमि मानकर विभाजन किया गया है जो निरस्त योग्य है। कानूनी प्रावधानो के अन्तर्गत बंटवारे का वाद पत्र सहखातेदार ही ला सकता है। यदि कोई सहखातेदार नही है तो उसे बिना घोषणा के बंटवारा कराये जाने का कोई कानूनी हक नही है। वाद पत्र धारा 88 व 53 के तहत सक्षम न्यायालय मे प्रस्तुत कर सकता है। अपीलांट के पिता गिरधारी के फर्जी हस्ताक्षर कर अपीलाधीन निर्णय व डिक्री प्राप्त की गई है जो प्रांरभ से शून्य आदेश की श्रेणी मे आता है। शून्य आदेश से किसी प्रकार के हक अधिकार अर्जित नही होते है। इस तथ्य पर गौर किये बिना ही अपीलाधीन निर्णय पारित किया गया है। वादीगण चतरा व गोपाल की और से प्रस्तुत वाद पत्र मे बल्दियत काना दर्शाई गई है। जबकि वादी चतरा को जो भूमि ख0न0 655/2 मे 5 बीघा भूमि आवंटित हुई है। आवंटन प्रार्थना पत्र मे चतरा पुत्र जगन्नाथ बैरवा दर्ज रिकार्ड है। इसके अतिरिक्त फार्म पर कब्जा देने की रिपोर्ट चतरा की निशानी अंकित है। जबकि प्रस्तुत वाद पत्र मे चतरा के हस्ताक्षर दशाये गये है इससे स्पष्ट है कि चतरा काना का फर्जी पुत्र बनकर उक्त अपीलाधीन आदेश धोखा देकर तहत न्यायालय से प्राप्त किया गया है जो प्रारंभ से ही शून्य [illegible] है। काना के दो पुत्र गिरधारी व गोपाल रहे है तथा गिरधारी व गोपाल की मृत्यु हो चुकी है गिरधारी के विधिक वारिसान अपीलांट रामकिशन व दिलीप पुत्रान है तथा गिरधारी की [illegible] पुत्रीयो से हकत्याग अपीलांटान के

Signature Not Verified
Digitally signed by Laxmi Kant Balot
Date: 2025.03.27 16:02:04 IST
Reason: SelfAttested

राजस्व अपील प्राधिकारी
सवाई माधोपुर

Scanned with CamScanner

पक्ष मे किया जा चुका है। रेस्पो0 मृतक गोपाल के वारिसान अर्जुनलाल,छीतर,छोटूलाल पुत्र व तुलसा पुत्री है जो रेस्पो0 है। जगन्नाथ के एक पुत्र प्रतिवादी चतरा है। चतरा की मृत्यु हो चुकी है चतरा के विधिक वारिसान रेस्पो0 संख्या 8 ता 12 है। अपीलांट के पिता गिरधारी पुत्र काना की खातेदारी कब्जे काश्त की भूमि साबिक ख0न0 95,96,114,116,144,332,383 कुल किता 8 कुल रकबा 21 बीघा 6 विस्वा वाके ग्राम बगावदा मे स्थित थी जो आधार वर्ष जमाबंदी सम्वत 2012 से 2015 मे खाता संख्या 27 पर दर्ज रिकार्ड है। खतौनी बन्दोबस्त सम्वत 2009–12 के खाता संख्या 32 पर अपीलांट के पिता गिरधारी पुत्र काना की खातेदारी की भूमि दर्ज रही है। खाता संख्या 17 पर अपीलांट के पिता गिरधारी के नाम दर्ज रिकार्ड है। उक्त आराजीयात मे चतरा जो फर्जी हस्ताक्षर कर काना का पुत्र बनकर बंटवारा कराया है। यह विधि के विपरीत है क्योकि काना का चतरा पुत्र नही है। वादीगण गोपाल व चतरा के हस्ताक्षरो को सत्यापित नही करवाया है तथा अपीलांट के पिता गिरधारी के फर्जी हस्ताक्षर कर धोखाधडी कर उक्त अपीलाधीन आदेश अधिनस्थ न्यायालय से प्राप्त किया है। जो विधि के विपरीत है। चतरा व गोपाल भूमि के सहखातेदार नही होने से धारा 53 के अन्तर्गत बंटवारा कराने का अधिकार नही है। खातेदारी प्राप्त करने के लिए वादीगण को सक्षम न्यायालय मे धारा 88 के तहत वाद पत्र लाना चाहिए था तथा खातेदार काश्तकार घोषित होने के उपरान्त ही इन्द्राज दुरूस्ती कर बंटवारा वाद साक्ष्य किया जा सकता है। विधि का सिद्वान्त स्पष्ट है कि पक्षकारान को राजीनामे के जरिये भी निर्णय व डिक्री प्रदान की जाती है तो राजीनामा राजस्व रिकार्ड के अनुकूल एवं लॉफूमी होना चाहिए अन्यथा इस प्रकार की खातेदारी की भूमि को किसी भी रूप मे अन्य को स्थानान्तरित नही किया जा सकता है ना ही उसके पक्ष मे खातेदारी की जा सकती है। अपीलाधीन आदेश अपीलांट के पिता को बिना सुने बिना नोटिस जारी किये ही गिरधारी के फर्जी हस्ताक्षर कर पारित किया गया है। गिरधारी को साक्ष्य सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान नही किया गया है। अपीलाधीन आदेश प्राकृतिक न्याय के सिद्वान्त कें विपरीत होने से निरस्त योग्य है। अधिनस्थ न्यायालय के निर्णय की कोई सूचना अपीलांट को पूर्व मे नही रही है। अपीलांट के पिता का देहान्त होने से अपीलांट के पिता के नाम 21 बीघा 6 विस्वा भूमि राजस्व रिकार्ड मे दर्ज थी हल्का पटवारी से जाकर दिनांक 21.424 को मिलने पर पटवारी ने बताया कि अधिनस्थ न्यायालय के निर्णय से यह भूमि तीन हिस्सो मे बांट दी गई है जिस पर दिनांक 22.4.24 को सवाई माधोपुर आकर नकल आदि प्राप्त की जाकर नकल प्राप्त की जानकारी के आधार पर अपील अन्दर मियाद प्रस्तुत कर अपीलांट की अपील स्वीकार फरमाई जाकर अपीलाधीन आदेश दिनांक 1.3.86 को अपास्त फरमाया जाकर अपीलाधीन आदेश की आड मे राजस्व रिकार्ड मे किये गये समस्त परिवर्तन निरस्त फरमाये जावे।

रेस्पो0 ने अपील बहस मे तर्क दिया कि विवादित आराजी साबिक ख0न0 96,95,144,332,383,116,112 व 114 कुल किता 8 कुल रकबा 21 बीघा 6 विस्वा की आराजी अपीलांट व रेस्पो0 के पूर्वजो की संयुक्त कब्जे काश्त की [illegible] आराजी थी। जिसका मूल खातेदार काना बैरवा द्वारा विरासत मे छोडी गई भूमि थी [illegible] के तीन पुत्र गिरधारी,गोपाल व चतरा ने काना द्वारा विरासत मे छोडी गई भूमि का आपसी मे सहमति से जोत का विभाजन कराने हेतु अधिनस्थ न्यायालय मे पेश किया गया था। जिसमे किसी प्रकार की

राजस्व अपील प्राधिकारी
सवाई माधोपुर

Signature Not Verified
Digitally signed by Laxmi Kant Balot
Date: 2025.03.27 16:02:04 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with CamScanner

दुरभिसंधी नही थी। अधिनस्थ न्यायालय द्वारा दस्तावेजात की जॉच कर आपसी सहमति के आधार पर विधिवत डिकी पारित की है। जिसमे किसी प्रकार की अनियमितता नही है। डिकी का विधिवत अमल हुआ है। उभयपक्ष कारान को बंटवारे की डिकी पर कोई ऐतराज नही किया। यदि चतरा काना का पुत्र नही होता तो गिरधारी व गोपाल अपना क्यो देते। राजीनामा सहमति पर हस्ताक्षर क्यो करते। मौके पर जमीन का कब्जा किसी दीगर को क्यो संभवाते और फर्जीयत का पता 38 वर्षो तक नही लगा। जबकि डिकीदार सभी मर चुके है। राजस्व रिकार्ड मे आराजी का कब्जा भी कई जगह ट्रांसफर हो चुका है। इन सब परिस्थितियो से स्पष्ट है कि अधिनस्थ न्यायालय का निर्णय सही है। अपीलांट द्वारा अपील 38 वर्ष पश्चात पेश करने एवं राजीनामा के आधार पर पारित डिकी की अपील मेन्टेवल नही होने से अपील खारिज फरमाई जावे। उक्त डिकी के खिलाफ डिकीदारो ने अपने जीवनकाल मे कभी कोई आपत्ति नही की वारिसान के नाम राजस्व रिकार्ड मे अमल दरामद व कब्जा निर्विवाद काफी पुराना चल रहा है। 38 वर्ष पश्चात अपील किस कारण से की गई है जो बिना किसी जॉच के एफ आई आर के मात्र लिख देने से चतरा काना का पुत्र नही था। फर्जी तरीके से डिकी प्राप्त कर जमीन हथियाने की बात स्वीकार योग्य नही है। यदि उक्त फर्जीयात होती तो गिरधारी के वारियान के साथ गोपाल के वारिसान को भी आपत्ति होनी चाहिए थी। जिन्होने इस बाबत कोई आपत्ति आज तक पेश नही की गई है। रेस्पो0 का 38 वर्षो से पजेशन व खातेदारी पर कब्जा काश्त है। ऐसी डिकी पर संदेह नही किया जा सकता है। अपीलांट द्वारा केवल मात्र चतरा पुत्र हजारी के आवंटन की नकल पेश करने से यह नही माना जा सकता है कि चतरा काना का पुत्र नही हो सकता है। चतरा पुत्र जगन्नाथ उर्फ काना एक ही व्यक्ति का नाम है। जिसे गांव मे दो नामो से जाना जाता है। साक्ष्य के तौर पर काना का मृत्यु प्रमाण पत्र दिनांक 3.10.12 एवं जमाबंदी खाता संख्या 53 सम्वत 2069–2072 खातेदार चतरा पुत्र काना ग्राम वगावदा एवं ग्राम खिजुरी ग्राम बगावदा दिनांक 25. 11.24 को प्रमाण पत्र एवं एक रजिस्टर्ड विक्रय पत्र मे स्वयं अपीलांट रामकिशन पुत्र गिरधारी गवाह न0 1 के रूप मे उपस्थित हुआ है। और अपने हस्ताक्षर किये है। इससे स्पष्ट है कि चतरा काना उर्फ जगन्नाथ का जायज पुत्र है और गोपाल व गिरधारी का सगा भाई है। जिसकी अपीलांट को बखूबी जानकारी है। अपीलांट द्वारा प्रस्तुत आवंटन पत्रावली चतरा पुत्र जगन्नाथ की प्रस्तुत की है। जो सही है जगन्नाथ उर्फ काना एक ही व्यक्ति का नाम है जो चतरा ,गिरधारी व गोपाल का पिता है। यदि चतरा काना का पुत्र नही होता तो गिरधारी के वारिसान को ही आपत्ति क्यो है गोपाल भी डिकीदार है उसके वारिसान ने उक्त आपत्ति क्यो नही की वे भी तो पीडित होते इस प्रकार अपील खारिज योग्य है। अपीलांट द्वारा प्रस्तुत अपील 38 वर्षो बाद पेश की है। रेस्पो0 मंदिर की जमीन की हिफाजत हेतु चीरे गाढकर उसको सुरक्षित करना चाहते है। जबकि अपीलांट मंदिर की आराजी पर कब्जा करना चाहते है। जिसकी रिपोर्ट रवाजना डूँगर थाने पर दर्ज कराई थी यही विवाद पक्षकारो के मध्य था। जिससे नाराज होकर अपीलांट ने रेस्पो0 को हेरान व परेशान करने की गरज से उक्त सारहीन व मिथ्या अपील पेश की है। जो खारिज योग्य है। अतः अपीलांट की अपील खारिज फरमाई जावे।

Signature Not Verified
Digitally signed by Laxmi Kant Balot
Date: 2025.03.27 16:02:04 IST
Reason: SelfAttested

उभयपक्ष की बहस पर मनन किया गया। अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली एवं उपलब्ध दस्तावेजात का अवलोकन किया गया। इससे यह तथ्य सामने आये कि अधिनस्थ न्यायालय मे

राजस्व अपील प्राधिकारी
सवाई माधोपुर

Scanned with CamScanner